

डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) वनियमन अधिनियम, 2018 को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने डीएनए प्रौद्योगिकी (उपयोग एवं अनुप्रयोग) वनियमन अधिनियम, 2018 (DNA Technology (Use and Application) Regulation Bill, 2018) को मंजूरी दे दी है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डीएनए के नमूने एकत्र करने, "डीएनए प्रोफाइल" बनाने और अपराधों की फोरेंसिक जांच के लिये विशेष डेटाबेस तैयार करने की अनुमति देता है।

अधिनियम का उद्देश्य

इस अधिनियम का उद्देश्य अपराधों की जांच दर में बढ़ोतरी के साथ देश की न्यायिक प्रणाली को समर्थन देने एवं उसे सुदृढ़ बनाने के लिये डीएनए आधारित फोरेंसिक प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को वस्तुतः करना है।

प्रमुख बिंदु

- डीएनए परीक्षण प्रयोगशालाओं के अनिवार्य प्रत्यायन एवं वनियमन के प्रावधान के जरिये अधिनियम में इस प्रौद्योगिकी का देश में वस्तुतः उपयोग सुनिश्चित किया गया है।
- अधिनियम में इस बात का भी भरोसा दिलाया गया है कि डीएनए परीक्षण प्रणाली भरोसेमंद हों और नागरिकों के गोपनीयता अधिकारों के लहजा से डाटा का दुरुपयोग न हो सके।
- अधिनियम के प्रावधान एक तरफ गुमशुदा व्यक्तियों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले अज्ञात शवों के परस्पर मिलान करने में सक्षम बनाएंगे, दूसरी तरफ बड़ी आपदाओं के शिकार हुए व्यक्तियों की पहचान करने में भी सहायता प्रदान करेंगे।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित होने के बाद अधिनियम को 18 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के आगामी मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिनियम का विरोध

- कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अधिनियम का विरोध करते हुए कहा है कि जिस तरीके से डीएनए की जानकारी एकत्र की जानी है और उन्हें फोरेंसिक प्रयोगशालाओं द्वारा संग्रहीत किया जाना है उससे गोपनीयता के उल्लंघन की आशंका हो सकती है।
- एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अधिनियम में कई अनुसूची ऐसे जोड़े गए हैं जो डाटा के दुरुपयोग को रोकने में सक्षम हैं।
- बायोटेक्नोलॉजी विभाग के अनुसार, डाटाबेस केवल आपराधिक जांच से संबंधित जानकारी संग्रहीत करेंगे और संदिग्धों के डीएनए विवरण हटा दिये जाएंगे।
- अधिनियम में एक डीएनए प्रोफाइलिंग बोर्ड बनाने का प्रावधान है जो अंतिम प्राधिकरण होगा और राज्य स्तरीय डीएनए डाटाबेस के निर्माण को अधिकृत करेगा तथा डीएनए-प्रौद्योगिकियों के संग्रहण और विश्लेषण के तरीकों को स्वीकृत प्रदान करेगा।

पृष्ठभूमि

- फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइलिंग का ऐसे अपराधों के समाधान में स्पष्ट महत्त्व है जिनमें मानव शरीर (जैसे हत्या, दुष्करम, मानव तस्करी या गंभीर रूप से घायल) को प्रभावित करने वाले एवं संपत्ति (चोरी, संधमारी एवं डकैती सहित) की हानि से संबंधित मामले से जुड़े अपराधों का समाधान किया जाता है।
- 2016 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, देश में ऐसे अपराधों की कुल संख्या प्रतिवर्ष तीन लाख से अधिक है। इनमें से केवल एक छोटे हिस्से का ही वर्तमान में डीएनए परीक्षण किया जाता है।
- उम्मीद है कि अपराधों के ऐसे वर्गों में इस प्रौद्योगिकी के वस्तुतः उपयोग से न केवल न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी आएगी, बल्कि सजा दिलाने की दर भी बढ़ेगी, जो वर्तमान में केवल 30 प्रतिशत (2016 के एनसीआरबी आँकड़े) है।

